

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम(छ.ग.)

// संशोधित आदेश //

क्रमांक / 3769 / सां.लि / कोरोना / 2020

कवर्धा, दिनांक 01.06.2020

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने तथा इस पर नियंत्रण हेतु जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 का आदेश प्रसारित किया गया है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3243 दिनांक 17.05.2020 के अनुसार जिला कबीरधाम के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 17.08.2020 रात्रि 12.00 बजे तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 को बढ़ाया गया है।

पूर्व में भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी पत्र के परिपालन में कार्यालयीन आदेश/पत्र क्रमांक 2548 दिनांक 19.04.2020, 2582 दिनांक 21.04.2020, 2616 दिनांक 22.04.2020, 2625 दिनांक 23.04.2020, 2676 दिनांक 26.04.2020, 2730 दिनांक 30.04.2020, 2819 दिनांक 03.05.2020, 2824 दिनांक 04.05.2020, 2838 दिनांक 04.05.2020, 2826 दिनांक 04.05.2020, 2881 दिनांक 08.05.2020, 2998 दिनांक 12.05.2020, 3243 दिनांक 17.05.2020, 3365 दिनांक 18.05.2020, 3444 दिनांक 20.05.2020 एवं 3665, 28.05.2020 एवं 3722 दिनांक 29.05.2020 द्वारा विभिन्न अतिरिक्त गतिविधियां हेतु छूट प्रदान की गई थी।


2. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 30.05.2020 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 288/स.सा.प्र.वि./2020 दिनांक 31.05.2020 में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु लॉकडाउन उपायों को चरणबद्ध रूप से खोलने एवं 30 जून, 2020 तक लॉकडाउन संशोधित रूप में लागू करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिसके परिपालन में :-

- i. व्यक्तियों के अन्तरराज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा तथा इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन हो सकेगा।
 - ii. व्यक्तियों के अन्त-जिला परिवहन के बारे में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा।
 - iii. समस्त स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स एवं स्टेडियम 07 जून, 2020 तक बंद रहेंगे।
 - iv. सार्वजनिक पार्क 07 जून 2020 तक बंद रहेंगे।
 - v. राज्य के भीतर एवं अन्तरराज्यीय बस परिवहन सेवाओं के बारे में शासन से निर्देश प्राप्त होने पर पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।
 - vi. क्लब एवं बार संचालन के बारे में शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।
- 3/ चिन्हित कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं हेतु अनुमति होगी।
- 4/ कोविड-19 की रोकथाम हेतु अनुलग्नक-1 में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- 5/ आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, रात्रि 07:00 बजे से प्रातः 07:00 बजे के बीच लोगों की आवाजाही कड़ाई से निषिद्ध रहेगी अर्थात् रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा। कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3243 दिनांक 17.05.2020 अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का पालन अनिवार्य होगा।

- 6/ 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहेंगे। वे केवल आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए ही बाहर जा सकते हैं।
- 7/ आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर छूट प्राप्त दुकानों/संस्थानों को खोलने की समय-सीमा प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 07:00 तक रहेगी।

उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दण्डनीय होंगे।


यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


(रमेश कुमार शर्मा)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
कबीरधाम (छ.ग.)
कवर्धा, दिनांक 01.06.2020

पृ.क्रमांक / 3770 / सां.लि / कोरोना / 2020
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग, जिला दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम को सूचनार्थ।
8. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल कवर्धा, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ।
9. जिला सेनानी, नगर सेना, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला परिवहन अधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला आबकारी अधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. जिला खाद्य अधिकारी, कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सहायक संचालक, जनसंपर्क कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. सर्व संबंधित विभाग प्रमुख/श्री.....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
कबीरधाम (छ.ग.)

National Directives for COVID-19 Management

1. **Face coverings:** Wearing of face cover is compulsory in public places; in workplaces; and during transport.
2. **Social distancing:** Individuals must maintain a minimum distance of 6 feet (2 gaz ki doori) in public places.
Shops will ensure physical distancing among customers and will not allow more than 5 persons at one time.
3. **Gatherings:** Large public gatherings/ congregations continue to remain prohibited.
Marriage related gatherings : Number of guests not to exceed 50.
Funeral/ last rites related gatherings : Number of persons not to exceed 20.
4. **Spitting in public places** will be punishable with fine, as may be prescribed by the State/ UT local authority in accordance with its laws, rules or regulations.
5. **Consumption of liquor, paan, gutka, tobacco etc.** in public places is prohibited.

Additional directives for Work Places

6. **Work from home (WFH):** As far as possible the practice of WFH should be followed.
7. **Staggering of work/ business hours** will be followed in offices, work places, shops, markets and industrial & commercial establishments.
8. **Screening & hygiene:** Provision for thermal scanning, hand wash and sanitizer will be made at all entry and exit points and common areas.
9. **Frequent sanitization** of entire workplace, common facilities and all points which come into human contact e.g. door handles etc., will be ensured, including between shifts.
10. **Social distancing:** All persons in charge of work places will ensure adequate distance between workers, adequate gaps between shifts, staggering the lunch breaks of staff, etc.



30/5/20